बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या – 01/भू0अ0नि0(9) विविध–03/2022.1073 **पटना, दिनांक :–19/01/2023**

आदेश

बन्दोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय से प्राप्त सूचना के आलोक में श्री रोहित कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN03112), बन्दोबस्त कार्यालय, बेगूसराय से तथाकथित संघ के आह्वान पर दिनांक 10.01.2023 से हड़ताल कर सर्वेक्षण कार्य को बाधित करने तथा अन्य संविदा कर्मियों से भी कार्य बाधित कराने के साथ–साथ उनकी उचित समस्याओं के समाधान हेतु बुलाई गयी बैठक में भाग नहीं लेने तथा कार्य बाधित करने हेतु उकसाने के विरूद्ध स्पष्टीकरण की मांग भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक 535 दिनांक 18.01.2023 के द्वारा की गई है।

श्री कुमार द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है। श्री कुमार द्वारा अपने स्पष्टीकरण में अंकित किया है कि बन्दोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा किन–किन तथ्यों का उल्लेख उनके विरूद्ध किया गया है, इसकी प्रतिलिपि उन्हें नहीं दी गयी है। ऐसी परिस्थिति में पूर्ण जवाब/स्पष्टीकरण देने में समर्थ नहीं है। साथ ही यह भी अंकित किया गया है कि पूर्व में दिनांक 07.06.2022 को संघ के प्रतिनिधियों के साथ निदेशक भू–अभिलेख से हुए वार्त्ता का हवाला दिया गया है। इनके द्वारा संघ की वैधानिकता के वगैर जाँच के संदिग्ध एवं अवैध कहने को गैर एवं अनुचित बताया है।

इस कार्यालय से पूछे गये स्पष्टीकरण एवं आरोपित से प्राप्त उत्तर की समीक्षा की गई। समीक्षोंपरान्त पाया गया कि आरोपित से जिन बिन्दुओं के आधार पर स्पष्टीकरण की मांग की गई है, उस संदर्भ में स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। आरोपित द्वारा जिस तथाकथित संघ के आह्वान पर कार्य वहिष्कार किया गया है, उसके वैधानिकता के संबंध में कोई ऐसा ठोस साक्ष्य/अभिलेख समर्पित नहीं किया गया है जिससे कि स्पष्ट हो सके की वह संघ वैधानिक रूप से पंजीकृत है। दिनांक 07.06.2022 को इन प्रतिनिधियों से बात–चीत का यह अर्थ नहीं है कि जिनसे वार्त्ता की गयी है वह एक वैधानिक संघ है बल्कि कर्मियों के समस्याओं के समाधान के लिए उनसे बात–चीत की गयी थी।

आरोपित पर लगाये गये आरोप तथा उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की विवेचना की गई। विवेचनोंपरान्त पाता हूँ कि आरोपित पर लगाये गये आरोप के संदर्भ में कोई ऐसा ठोस साक्ष्य/प्रदर्श नही दिया गया है, जिससे इनका स्पष्टीकरण स्वीकृत किया जा सके। आरोपित द्वारा कोई तथ्यपरक उत्तर न देकर वैसा कथन दिया गया है, जो इन पर लगे आरोप के विपरीत है।

साथ ही आरोपित के कार्यकलाप के संबंध में निदेशालय में संधारित सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि आरोपित को बेगूसराय जिला के अंचल मंसूरचक के शिविर संख्या – 1 के दो ग्राम मराची, थाना संख्या – 29 एवं सराय नूरनगर, थाना संख्या – 231 आवंटित है, जिसमें ग्राम सराय नूरनगर, थाना संख्या – 231 में पॉलिगन की संख्या – 58 है। इस राजस्व ग्राम में किस्तवार दिनांक 23.05.2022 को प्रारंभ किया गया एवं 12.07.2022 को समाप्त किया गया है। किस्तवार प्रक्रम समाप्त करने में कुल 50 दिन का समय लिया गया है जबकि विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011/ नियमावली, 2012 में किस्तवार प्रक्रम की अधिकतम समय 30 दिन निर्धारित है। प्रतिदिन 35–40 खेसरों का किस्तवार करना था, जबकि इनके द्वारा मात्र 58 पॉलिगन में 50 दिन का समय लिया गया है। इस राजस्व ग्राम का खानापुरी कार्य दिनांक 19.09.2022 से प्रारंभ किया गया है, जो 04 माह में भी पूर्ण नहीं किया गया है। राजस्व ग्राम मराची, थाना संख्या – 29 में 18 पॉलिगन में किस्तवार का कार्य 18 दिन तथा खानापुरी कार्य 42 दिन में पूर्ण किया गया है, जो सर्वेक्षण कार्य हेतु निर्धारित समय सीमा के विपरीत है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि ये अपने शिविर कार्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है तथा इनका कृत्य स्वेच्छाचारिता, सरकारी कार्यो में बाधा पहुँचाने एवं उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना का द्योतक है। आरोपित के द्वारा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, जो समयबद्ध है, में बाधा डालने का कार्य किया गया है। साथ ही साथ अन्य कर्मियों को भी कार्य में बाधा डालने हेतु उकसाया (Provoking) गया है, जो योग्य कर्मी के आचरण के विपरीत है। इस तरह के कर्मी को सेवा में बनाए रखने से अन्य कर्मियों पर भी इसका कुप्रभाव पड़ रहा है।

अतः **''बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम – 8(4)''** में वर्णित प्रावधान के तहत श्री रोहित कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN03112) का संविदा अनुबंध तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

(जय सिंह) 19/1/23
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 01/भू0अ0नि0(9) विविध–03/2022..........1073.......... पटना, दिनांक :– 19/01/2023

प्रतिलिपि :– श्री रोहित कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN03112), बन्दोबस्त कार्यालय, बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक 19/1/23
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 01/भू0अ0नि0(9) विविध–03/2022..........1073.......... पटना, दिनांक :– 19/01/2023

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक 19/1/23
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 01/भू0अ0नि0(9) विविध–03/2022..........1073.......... पटना, दिनांक :– 19/01/2023

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर को सूचनार्थ एवं निदेशालय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप
19/1/23